Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **उदयपुर में पटवारी पटवार हल्का बालाथल, वल्लभनगर जिला उदयपुर 10,000/-रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।**

जयपुर, 24 जुलाई, गुरूवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. इन्टेलीजेन्स यूनिट उदयपुर द्वारा आज कार्यवाही करते हुये आरोपी राजेश मीणा पुत्र समयसिंह उम्र 31 वर्ष, निवासी वीरगांव तहसील मण्डावर, पुलिस थाना मण्डावर जिला दौसा हाल पटवारी, पटवार हल्का वालाथल, वल्लभनगर जिला उदयपुर को **10,000/- रूपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथो गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी इन्टेलीजेन्स यूनिट उदयपुर को एक शिकायत इस आशय की मिली कि दिनांक 14.07.2025 को परिवादी ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इन्टे. उदयपुर को लिखित शिकायत पेश करी की में ठेकेदारी का काम करता हूँ, माह फरवरी 2025 में मेरे द्वारा लगभग 5 बीघा जमीन खरीदी थी, चूंकि उक्त जमीन मुझ प्रार्थी के नाम पर नहीं होने से मैंने मेरे मित्र के नाम पर करवाई थी। उक्त जमीन का नामान्तरण भी ऑनलाईन किया गया व उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर शामिलाती खाता था, परन्तु शामिलाती खाते की भूमि का अलग-अलग बंटवारा करवाने हेतु में पटवार हल्का बालाथल के पटवारी राजेश मीणा से जाकर मिला और उनको उक्त भूमि के बंटवारे के बारे में बातचीत की और उनको आधार कार्ड, नकल, नक्शा ट्रेस इत्यादि दस्तावेज दिये थे तथा उनको उक्त भूमि जो ग्राम पुरियाखेड़ी पटवार हल्का बालाथल के खाता संख्या नया 79 जिसके खसरा संख्या 173,174,175,176 क्षेत्रफल 21600 हेक्टयर का बंटवारा हेतु कहा तो उन्होंने मुझे कहा कि बंटवारे के लिये वर्तमान प्रक्रिया अनुसार ऑनलाईन आवेदन करना पड़ता है, परन्तु मैं तुम्हारा आवेदन मेरे स्तर पर करवाकर बंटवारे का काम कर दूंगा। जिसके लिये 15,000/- रूपये देने होगें। जिस पर उक्त मांग अनुसार 12,000/-रूपये लेना तय हो वक्त मांग सत्यापन परिवादी द्वारा 2,000 रूपये दिये गये थे।

जिस पर एसीबी उदयपुर रेंज के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री प्रहलाद सिंह कृष्णियां** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. इन्टेलीजेन्स युनिट उदयपुर की **पुलिस निरीक्षक डॉ. सोनू शेखावत** के नेतृत्व में आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी राजेश मीणा पुत्र समयसिंह, उम्र 31 वर्ष, निवासी वीरगांव तहसील मण्डावर, पुलिस थाना मण्डावर जिला दौसा हाल पटवारी, पटवार हल्का बालाथल, वल्लभनगर जिला उदयपुर को 10,000/- रूपये रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधित 1988) के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।